



बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग।
संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

निविदा सूचना
सं० 06/2018-19

1. विभाग का नाम: पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार।
2. विज्ञापनदाता का नाम एवं पता: निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।
3. परिमाण विपत्र की बिक्री की तिथि एवं समय: 18-08-2018 को 5.00 बजे अपराह्न तक।
4. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय: 20-08-2018 को 2.00 बजे अपराह्न तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय: 20-08-2018 को 3.00 बजे अपराह्न तक।

क्रम सं०	निविदा का विवरण।	अग्रधन की राशि	जमानत राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	निविदा की अवधि
1	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना की पुरानी झील के निकट अवस्थित मयूर रेस्तराँ के ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल्ले) पर स्थित चार फुड काउन्टरों को एक इकाई (यूनिट) के रूप में संचालन हेतु बन्दोबस्ती।	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपये)	एक वर्ष के कुल मासिक रेंट की पचीस प्रतिशत राशि।	रु० 2000/ (रुपये दो हजार) प्रति।	01.09.2018 से 31.08.2020 (दो वर्ष)

निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र निदेशक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है एवं वेबसाइट www.forest.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

निदेशक,

संजय गाँधी जैविक उद्यान,
पटना।

भ्रष्टाचारी के दबाव में मत रहें, निगरानी विभाग से मिलकर कहें।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना की पुरानी झील के निकट ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल्ले) पर अवस्थित फुड काउन्टरों के संचालन के लिए निविदा शर्तें ।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना की पुरानी झील के निकट स्थित मयूर रेस्तराँ के ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल्ले) पर कुल चार फुड काउन्टर्स यथा 1) चाईनीज फुड काउन्टर, (2) आईसक्रीम फुड काउन्टर, (3) सामान्य स्नैक्स फुड काउन्टर तथा (4) साउथ इंडियन फुड काउन्टर वर्तमान में अवस्थित हैं। इन सभी फुड काउन्टरों को एक ही इकाई (यूनिट) में परिवर्तित कर 'फुड काउन्टर' के रूप में नामित करते हुए इन काउन्टरों पर विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री, फल, ड्राई फ्रूट्स आदि की बिक्री एवं संचालन के लिए विहित प्रपत्र में मुहरबंद निविदायें निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान पटना के पदनाम से दिनांक 20-08-2018 के 2.00 बजे अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे निविदा समिति द्वारा निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय यदि कोई निविदाकर्ता / उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते हैं, तब भी निविदा मान्य समझा जायेगा।

2. निविदा के निर्धारित प्रपत्रों एवं शर्तों की प्रति निदेशक के कार्यालय से रूपये 2000/- (दो हजार) प्रति की दर से कार्यावधि में प्राप्त किये जा सकते हैं। वैसे व्यक्ति जो निर्धारित प्रपत्रों एवं शर्तों को वेबसाइट से डाउनलोड कर निविदा समर्पित करते हैं, उन्हें निविदा प्रपत्र की राशि के रूप में 2000/- (दो हजार) का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक / डिमांड ड्राफ्ट तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना होगा जो निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में एवं पटना में भुगतेय होगा।

3. निविदाकर्ता निर्धारित प्रपत्र में तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अलग-अलग लिफाफों में उसपर तकनीकी बिड अथवा वित्तीय बिड जो भी हो, लिखेंगे तथा उसे सीलबंद कर अपना नाम, पता लिखेंगे। पुनः उन दोनों लिफाफों (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) को एक मुख्य बड़े लिफाफे में रखकर सीलबंद कर उसपर भी अपना नाम, पता लिखेंगे और अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित समय के अन्दर निविदा बक्सा में डालेंगे। निविदाकर्ता मुख्य बड़े लिफाफे में "फुड काउन्टर के लिये निविदा" अवश्य अंकित करेंगे।

4. निविदा अवधि दिनांक **01-09-2018 से 31-08-2020** (दो वर्षों) तक के लिए होगी।

5. निविदाकर्ता अपनी निविदा के साथ रूपये 50,000/- (रु० पचास हजार) की सत्यंकार राशि जमा करेंगे। यह सत्यंकार राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट के रूप में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में एवं पटना में भुगतेय होना चाहिये। तकनीकी बिड के साथ सत्यंकार राशि नहीं रहने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी। सफल निविदाकर्ता द्वारा जमानत/प्रतिभूति राशि जमा करने तथा एकरारनामा के उपरांत ही इसे लौटाया जायेगा। कंडिका-12 एवं 13 का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में इसे राज्यसात कर लिया जायेगा।

6. निविदाकर्ता को कम से कम दो वर्षों या अधिक का विधिवत निबंधित होटल/ निबंधित रेस्तराँ/ निबंधित फुड काउन्टर चलाने का अनुभव होना आवश्यक है। राज्य या केन्द्रीय उपक्रम में संचालन का अनुभव होने पर प्राथमिकता दी जायेगी। यदि किसी फर्म के नाम पर निविदा समर्पित किया जाता है तो फर्म के द्वारा निविदाकर्ता को प्राधिकृत किया जाना आवश्यक होगा। निविदाकर्ता इस प्राधिकार-पत्र को तकनीकी बिड के साथ मूलरूप में समर्पित करेंगे।

7. निविदाकर्ता को ESI & EPF से निबंधित होना चाहिए। निविदाकर्ता अपनी निविदा के साथ **विगत वर्ष का वार्षिक रिटर्न** की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

8. निविदाकर्ता को FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) से निबंधित होना चाहिए। निविदाकर्ता अपनी निविदा के साथ FSSAI से निबंधन की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

9. निविदाकर्ता को Service Tax का निबंधन होना चाहिए। निविदाकर्ता अपनी निविदा के साथ Service Tax निबंधन की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

10. निविदाकर्ता को **तकनीकी बिड** के साथ निम्नांकित कागजातों को समर्पित करना अनिवार्य होगा:-

- (i) निविदा प्रपत्र क्रय करने का प्रमाण (रसीद की छायाप्रति)
- (ii) यदि निर्धारित प्रपत्र एवं शर्त वेबसाईट से डाउनलोड कर निविदा समर्पित किया जा रहा है तो निविदा प्रपत्र की राशि के रूप में रू० 2000/- (दो हजार रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट।
- (iii) सत्यंकार राशि के रूप में रू० 50,000/- (पचास हजार रुपये) का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक/डिमांड ड्राफ्ट।
- (iv) ESI & EPF से निबंधन तथा विगत वार्षिक रिटर्न का स्वःहस्ताक्षरित अभिप्रमाणित प्रति। (*)
- (v) FSSAI से निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित अभिप्रमाणित प्रति। (*)
- (vi) G.S.T. से निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित अभिप्रमाणित प्रति। (*)
- (vii) पैन/टैन के निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। निविदाकर्ता विगत दो वर्षों (वर्ष 2016-17 एवं 2017-18) का आयकर रिटर्न की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। (*)
- (viii) निविदाकर्ता द्वारा अद्यतन वार्षिक जी०एस०टी० रिटर्न की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। (*)
- (ix) पहचान-पत्र तथा पता संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वः अभिप्रमाणित छायाप्रति।
- (x) निविदा समर्पित करने के लिए योग्यता एवं रूपरेखा अर्थात् अनुभव, वर्तमान में कहाँ और किस प्रकार के विधिवत निबंधित होटल / निबंधित रेस्तराँ/ निबंधित फुड काउन्टर के संचालक हैं और कबसे संचालित कर रहे हैं और उनके होटल/ रेस्तराँ/ फुड काउन्टर में कौन-कौन सी सामग्री बेची जा रही है, इत्यादि से संबंधित प्रमाण-पत्र की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति तथा **जैविक उद्यान में फुड काउन्टर संचालन के संबंध में एक विस्तृत योजना** समर्पित करना आवश्यक होगा। उक्त प्रतिवेदन निविदा अभिलेखों के अंश माने जायेंगे। जैविक उद्यान के प्रसंगिक चार फुड काउन्टर, जो एक इकाई मान कर निविदा आमंत्रित की गई है, में **बेचे जाने वाले खाद्य सामग्रियों की पृथक-पृथक सूची उपरोक्त प्रतिवेदन में अवश्य शामिल करना होगा।(*)**
- (xi) निविदाकर्ता के द्वारा संचालित विधिवत निबंधित होटल/ निबंधित रेस्तराँ / निबंधित फुड काउन्टर का वार्षिक टर्नओवर कम से कम 10.00 लाख (दस लाख) रूपया होना चाहिए जिससे संबंधित खाद्य संरक्षा विभाग, बिहार सरकार से पंजीकरण का प्रमाण-पत्र/ लाईसेंस की स्वःहस्ताक्षरित प्रति देंगे।

- (XII) फर्म के नाम पर निविदा समर्पित करने की स्थिति में निविदाकर्ता के लिए फर्म का प्राधिकार-पत्र की मूलप्रति।
- (XIII) सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदाकर्ता का नाम दर्ज होने/ न होने संबंधी घोषणा-पत्र।

नोट:- (*) निविदा खोलने के समय स्व:हस्ताक्षरित/अभिप्रमाणित छायाप्रति की मूलप्रति निविदाकर्ता को दिखाना होगा। अन्यथा तकनीकी बिड को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

11. निविदाकर्ता **वित्तीय बिड** में चारों काउन्टरों (एक इकाई) के लिए प्रतिमाह उद्यान को दी जाने वाली राशि अंक एवं शब्द दोनों में साफ-साफ लिखेंगे। यदि किसी विशेष परिस्थितिवश निविदाकर्ता द्वारा राशि को बदला जाता है तो पूर्व में अंकित राशि को हस्ताक्षर सहित पेन (कलम) से एक बार में काटकर पुनः साफ-साफ अंक एवं शब्द में लिख सकते हैं, परन्तु किसी भी परिस्थिति में ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा। **चारों फुड काउन्टरों को एक ही इकाई मानकर एक ही दर अंकित करेंगे।** एक से अधिक दर अंकित करने की स्थिति में निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

12. सफल निविदाकर्ता को निविदा की स्वीकृति की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर रु० 1000/- (एक हजार रुपये) के नन-जूडिशियल स्टाम्प पेपर स्वयं लाकर एकरारनामा (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करना होगा।

13. निविदा की स्वीकृति की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर जमानत की राशि के रूप में निविदा राशि की वार्षिक राशि की 25% (पच्चीस प्रतिशत) राशि जमा करना होगा जो राष्ट्रीयकृत बैंक के एस०टी०डी०आर० अथवा राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के रूप में होगा एवं निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में प्लेज्ड होना चाहिए।

14. एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने, जमानत राशि एवं एक माह का अग्रिम राशि (मासिक रेंट) जमा करने के उपरान्त ही सफल निविदाकर्ता को उक्त स्टॉल के संचालन की अनुमति दी जायेगी। यदि सफल निविदाकर्ता जमानत की राशि तथा एक माह का अग्रिम राशि निर्धारित समय तक जमा करने एवं एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहते हैं तो उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन/सत्यंकार राशि राज्यसात कर ली जायेगी।

15. निविदाकर्ता को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अग्रिम रेंट जमा करना होगा। 10 तारीख तक निर्धारित रेंट जमा नहीं करने की स्थिति में 3% वृध्यात्मक शुल्क जोड़ कर भुगतान करना होगा। लगातार 03 (तीन) माह तक रेंट (3% वृध्यात्मक शुल्क सहित) जमा नहीं करने पर अगले माह जमानत की राशि राज्यसात करने तथा निविदा रद्द करने का अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा।

16. सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा अवधि (दो वर्षों) के बीच में इस निविदा शर्तों के अतिरिक्त बिना कोई ठोस कारण के आवंटन रद्द करने तथा संचालन करने से इंकार नहीं किया जा सकता है। यदि निविदाकर्ता/संचालक द्वारा निविदा अवधि में स्टॉल संचालन करने से इंकार किया जाता है तो वैसी परिस्थिति में दुकान संचालक को कम से कम दो माह का पूर्व/अग्रिम सूचना निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को देना बाध्यकारी होगा। वैसी परिस्थिति में संचालक द्वारा जमा प्रतिभूति राशि/जमानत राशि की विमुक्ति पर निविदा समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा जो अन्तिम होगा तथा संबंधित संचालक को मान्य होगा।

17. आवंटित काउन्टर्स में बदलाव, मरम्मती, पुनर्निर्माण या अन्य कारणों से संवेदक को एक माह के नोटिस पर आवंटित काउन्टर्स को बंद करने का अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा। वैसी परिस्थिति में संचालक को रेंट नहीं देना होगा।

18. सभी वैधानिक करों यथा आयकर, सेवा कर, वैट इत्यादि/देयताओं का भुगतान सफल निविदाकर्ता को अलग से अपने स्तर से करना होगा जिसकी जिम्मेवारी निविदाकर्ता की होगी।

19. सफल निविदाकर्ता फुड काउन्टरों का संचालन उद्यान में दर्शकों के लिए निर्धारित दर्शन अवधि में ही करेंगे। प्रत्येक सोमवार को उद्यान बंद रहता है। अतः सफल निविदाकर्ता को प्रत्येक सोमवार को काउन्टर्स बंद रखने होंगे। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितिवश यदि किसी दिन उद्यान बंद किया जाता है तो बिना किसी हर्जाना के सफल निविदाकर्ता को काउन्टर्स बंद रखना होगा। सफल निविदाकर्ता के कोई भी कर्मचारी रात्रि में फुड काउन्टरों में नहीं रहेंगे। माह अप्रैल से सितम्बर तक प्रातः 7.00 बजे पूर्वाह्न से 7.00 बजे अपराह्न तक तथा माह अक्टूबर से मार्च तक प्रातः 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक काउन्टर के संचालक एवं कर्मी को उद्यान में पहचान-पत्र दिखाकर आने-जाने की अनुमति होगी।

20. सफल निविदाकर्ता को फुड काउन्टरों पर किए गए बिजली खपत का भुगतान एच.टी. कनेक्शन के दर के अनुरूप अलग से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक करना अनिवार्य होगा अन्यथा बिजली आपूर्ति बंद कर दी जायेगी जिसके लिए सफल निविदाकर्ता स्वयं जिम्मेवार होंगे। बिजली खपत का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक से **केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में** 'साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के नाम में करना होगा।

21. सफल निविदाकर्ता मयूर रेस्तराँ के निचले तल्ले पर स्थित चारों फुड काउन्टरों के सामने स्थित प्लेटफार्म का उपयोग ग्राहकों के बैठने के लिए कर सकते हैं।

22. संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना एक 'पॉलीथीन निषिद्ध' क्षेत्र हैं। अतः सफल निविदाकर्ता, ग्राहकों को सामग्री की आपूर्ति के लिए पॉलीथीन, थर्मोकॉल/स्टैरोफोम के प्लेट्स, ग्लास इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। धोने वाले किसी बर्तन, थाली, प्लेट्स का उपयोग नहीं करेंगे। जो भी प्लेट का उपयोग करेंगे वह डिस्पोजिबुल प्लेट (disposable plates) होना चाहिए ताकि किसी भी प्लेट को धोने की आवश्यकता न पड़े।

23. सफल निविदाकर्ता फुड काउन्टर में बेचे जाने वाले कोई भी खाद्य सामग्री उद्यान में नहीं बनायेंगे एवं पकायेंगे और न ही चूल्हा/गैस चूल्हा जलायेंगे। खाद्य सामग्रियाँ केवल बाहर से बनवा/पकवा कर लायेंगे। खाद्य सामग्रियों की बिक्री इको-फ्रेंडली सामानों में करेंगे। बाहर से लाये गये रेडीमेड खाद्य सामग्रियों को इलेक्ट्रिकल ओवेन (electrical oven) में गर्म करने की अनुमति होगी। जूस, काफी बनाने के लिए इलेक्ट्रिक मशीन का उपयोग कर सकते हैं परन्तु इसकी भी बिक्री कागज के ग्लास में करने की अनुमति होगी। पैकड मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स की बिक्री तथा प्लास्टिक बोतल इत्यादि का उपयोग प्रतिबंधित है।

24. सफल निविदाकर्ता को चारों फुड काउन्टरों पर पृथक-पृथक **सूची दर** लगायेंगे जिसमें सामग्री का नाम, उसका आकार एवं मात्रा तथा दर अंकित रहेगा। साथ ही उसपर उद्यान के पदाधिकारियों का मोबाईल नम्बर एवं निदेशक कार्यालय का दूरभाष नम्बर, ई-मेल सहित, ग्राहकों/दर्शकों की सुविधा के लिए प्रदर्शित किया जायेगा।

25. सफल निविदाकर्ता को काउन्टर्स से बेचे जाने वाले सामग्री यथा खाद्य सामग्री, फल, ड्राई फ्रूट्स आदि का दर, सामग्री की मात्रा/आकार, सामग्री का वजन जो मान्य हो, निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना से अनुमोदित कराना अनिवार्य होगा। संचालक द्वारा खाद्य सामग्रियों की बिक्री औसत बाजार दर पर की जायेगी जिसके दर का निर्धारण निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा गठित समिति के अनुशंसा पर निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा किया जायेगा। निर्धारित दर एवं आकार/विशिष्टियाँ से भिन्न खाद्य सामग्रियों की बिक्री करते पाये जाने पर निविदा रद्द करने एवं जमानत राशि को राज्यसात करने का अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा।

26. सफल निविदाकर्ता को उद्यान में प्रतिबंधित सामग्री यथा बीड़ी, सिगरेट, खैनी, मांस, मछली एवं मदिरा की बिक्री नहीं करनी होगी। संचालक एवं उनके कर्मियों के द्वारा बिक्री या सेवन करते हुए पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा की जायेगी।

27. सफल निविदाकर्ता को कम्पनी के खाद्य पदार्थ, सीलबंद सामग्री केवल एम.आर.पी. पर ही बेचने की अनुमति होगी। **काउन्टर्स से बेचे जाने वाले सामानों के लिए ग्राहकों को रसीद देना अनिवार्य होगा।** सरकार द्वारा प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ की बिक्री नहीं करनी होगी। ग्राहकों को उचित रसीद निर्गत नहीं करने की स्थिति में सुसंगत वैधानिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई हेतु अनुशंसा करते हुए निविदा को रद्द करने का अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा।

28. काउन्टर्स तथा आसपास के परिसर में किसी कम्पनी इत्यादि का प्रचार सामग्री लगाना या बढ़ावा देना वर्जित होगा। काउन्टर पर कार्यरत सफल निविदाकर्ता के कर्मियों को शोर-हल्ला करना वर्जित होगा। ग्राहकों के साथ शिष्टाचार का व्यवहार करना उनका प्रथम कर्तव्य होगा। वे उद्यान के नियमों के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे।

29. सफल निविदाकर्ता, उन सभी व्यक्तियों का, जो उनके द्वारा काउन्टरों पर कार्य करने के लिए रखे जायेंगे, उनका पूरा पता, फोटो सहित पहचान-पत्र दो प्रतियों में, निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के कार्यालय में जमा करेंगे तथा **उनकी पहचान के लिए सफल निविदाकर्ता अपने स्तर से उन्हें वर्दी देंगे।** बिना वर्दी के कोई कर्मचारी उद्यान के अन्दर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

30. सफल निविदाकर्ता को उनके खर्च पर कम से कम चार कूड़ादान (डस्टबिन) रखना अनिवार्य होगा जिसकी सफाई प्रत्येक दिन दर्शक अवधि के उपरान्त संध्या में उद्यान परिसर से करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में एक दिन का कूड़ा, अगले दिन के दर्शक अवधि शुरू होने तक नहीं रखना होगा। कूड़ा-कचरा को फुड काउन्टर की नाली में नहीं फेंकना होगा। सफल निविदाकर्ता को काउन्टर परिसर एवं उसके आस-पास के स्थल में खाद्य सामग्री के बर्तन (जिसमें उद्यान के बाहर से खाद्य सामग्री लाये जाते हैं, फुड काउन्टर में भंडारित किए जाते हैं तथा जिसमें रखकर बेचे जाते हैं) को धोना वर्जित होगा।

31. यदि किसी प्रकार के कानूनी व्यवधानों के कारण संबंधित प्रशासन/प्राधिकार द्वारा दुकानों को बंद कराया जाता है तो वैसी स्थिति में इसके लिए संचालक स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा उन्हें मासिक रेंट भुगतान करना होगा अन्यथा उपरोक्त कंडिका-15 में दिए गए शर्त के अनुसार प्रतिभूति/जमानत राशि को राज्यसात कर लिया जायेगा।

32. सफल निविदाकर्ता को काउन्टर परिसर एवं उसके आस-पास के स्थल को साफ-सुथरा (स्वच्छ एवं स्वस्थ) तथा **बदबूरहित** रखना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो जुर्माना के भागी होंगे एवं इसके संबंध में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं निविदाकर्ता को मान्य होगा।

33. यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा उपरोक्त शर्तों के किसी कंडिका का उल्लंघन किया जाता है तो वैसी स्थिति में आवश्यक जाँचोपरान्त निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को अधिकार होगा कि वे सफल निविदाकर्ता को एक सप्ताह के समय का नोटिस देकर उनके जमानत/प्रतिभूति राशि को राज्यसात कर लें तथा काउन्टर्स को बंद कर दें।

34. निदेशक को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि जब आवश्यकता होगी वे किसी भी खाद्य सामग्री की बिक्री को पूर्णतः या अंशतः अवधि के लिये बंद कर सकेंगे।

35. निदेशक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों को फुड काउन्टरों पर बेचे जा रहे सामग्री की मात्रा, गुणवत्ता, दर, ग्राहकों के साथ व्यवहार, डिस्पोजिबुल प्लेट/ग्लास (disposable plates/glass) की उपयोगिता की स्थिति, परिसर के स्वच्छता की स्थिति का औचक निरीक्षण करने का पूरा अधिकार होगा।

36. किसी भी विवाद का निपटारा का न्याय क्षेत्र पटना होगा।

37. निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, को बिना कारण बताये किसी या सभी निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।

निदेशक।

दिनांक 01-09-2018 से 31-08-2020 (दो वर्षों) तक संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पुरानी झील के निकट ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल्ले) पर अवस्थित फुड काउन्टरों को एक इकाई के तहत संचालन के लिए

तकनीकी बिड

क्रमांक	तकनीकी सूचना	निविदाकर्ता द्वारा समर्पित सूचना
1	निविदा प्रपत्र क्रय का मनी रसीद की स्व:हस्ताक्षरित छायाप्रति।	
2	यदि निर्धारित प्रपत्र एवं शर्त वेबसाईट से डाउनलोड कर निविदा समर्पित किया जा रहा है तो टेन्डर प्रपत्र की राशि के रूप में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के पदनाम में रु० 2000/- (दो हजार) का डिमांड ड्राफ्ट।	
3	निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के पदनाम में रु० 50,000/- (रुपये पचास हजार) के अग्रधन राशि (सत्यंकार राशि) का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट।	
4	ESI & EPF से निबंधन तथा विगत वार्षिक रिटर्न का स्व:हस्ताक्षरित अभिप्रमाणित प्रति।	
5	FSSAI से निबंधन का स्व:हस्ताक्षरित अभिप्रमाणित प्रति।	
6	G.S.T. से निबंधन का स्व:हस्ताक्षरित अभिप्रमाणित प्रति।	
7	पैन/टैन के निबंधन का स्व:हस्ताक्षरित छायाप्रति। निविदाकर्ता विगत दो वर्षों (वर्ष 2016-17 एवं 2017-18) का आयकर रिटर्न की स्व:हस्ताक्षरित छायाप्रति।	
8	निविदाकर्ता के द्वारा अद्यतन वार्षिक सेल्स टैक्स रिटर्न की स्व:हस्ताक्षरित छायाप्रति।	
9	पहचान-पत्र तथा पता संबंधी प्रमाण-पत्र की स्व: अभिप्रमाणित छायाप्रति।	
10	जैविक उद्यान में फुड काउन्टर संचालन के संबंध में एक विस्तृत योजना तथा बेचे जाने वाले खाद्य सामग्रियों की पृथक-पृथक सूची।	
11	वार्षिक टर्नओवर तथा खाद्य संरक्षा विभाग, बिहार सरकार से पंजीकरण का प्रमाण-पत्र/लाईसेंस की स्व:हस्ताक्षरित प्रति।	
12	फर्म के नाम पर निविदा समर्पित करने की स्थिति में निविदाकर्ता के लिए फर्म का प्राधिकार-पत्र की मूलप्रति।	
13	सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदाकर्ता का नाम दर्ज होने/ न होने संबंधी घोषणा-पत्र।	

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर एवं पता

दिनांक 01-09-2018 से 31-08-2020 (दो वर्षों) तक संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पुरानी झील के निकट ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल्ले) पर अवस्थित चार फुड काउन्टरों को एक इकाई के तहत संचालन के लिए
वित्तीय बिड

प्रेषक,

नाम:-

पिता का नाम:-

पत्राचार का पता:-

दूरभाष/ मोबाईल संख्या-

सेवा में,

निदेशक,

संजय गाँधी जैविक उद्यान,

पटना।

महाशय,

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पुरानी झील के निकट ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल्ले) पर अवस्थित चार फुड काउन्टरों को एक इकाई के तहत दिनांक 01-09-2018 से 31-08-2020 (दो वर्षों) तक संचालन के लिए मैं रुपये.....
(रुपये.....)

प्रतिमाह का दर अर्पित कर रहा हूँ।

2- उक्त पते पर जो भी पत्राचार किया जाएगा, मुझे स्वीकार्य होगा।

3- यदि मेरा निविदा स्वीकार किया जाता है तो मैं निविदा शर्त की कंडिका 13 के अनुसार पूरे एक वर्ष के रेंट (किराया) की राशि का 25% (पच्चीस प्रतिशत) राशि प्रतिभूति/जमानत राशि के रूप में जमा करूंगा।

4- मैंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा/पढ़वाया और समझा है तथा मैं सभी शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

आपका विश्वासी,

घोषणा-पत्र

मैं..... पिता का नाम.....

.....ग्राम..... पो० थाना.....

..... जिला.....घोषणा करता हूँ कि मैं

.....(विभाग/कार्यालय का नाम) में

से अवधि तक के लिए निबंधित होटल / निबंधित रेस्तराँ/

निबंधित फुड काउन्टर का संचालन किया है तथा उस विभाग/कार्यालय द्वारा मुझे

कृष्णचिन्हित किया / नहीं किया गया है।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

तिथि:-